the case of Shri Vinodanand Jha Vs. State has inter-alia given directions to Doordarshan and Indian based TV channels to discontinue telecast of adult movies and not to telecast any new or fresh commercially sponsored serial or programme w.e.f. 01.08.1996 unless these are certified by the Censor Board for universal screening.

(c) to (e) To counter the impact of foreign satellite channels Doordarshan is endeavouring on a continuing basis to bring about a qualitative improvement in its channels through a phased expansion of its terrestrial network, introduction of the latest state of art equipments and by providing a wholesome fare of predominatly Indian programming at the national and regional levels so as to sustain and increase the interest of the viewers in their programmes.

Financial Assistance to Sick Companies by Public Sector Banks

1593. SHRI SATISH AGARWAL:
SHRI BANGARU LAXMAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken a policy decision to mandate the Public Sector Banks to provide financial assistance to sick companies pending with the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR); and

(b) whether Government will reverse this policy in view of the fact that nearly Rs. 12,000 crores have already caused the exchequer in the recapitalisation of the Public Sector Banks during the last three years and this new policy decisions runs counter to the commitment of Government to carry out financial sector reforms?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) When sick industrial companies are referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), banks extend need based support and allow 'holding-on' operations on a case to case basis. Commercial banks have been advised by the Reserve Bank of India that they should not abruptly stop the credit ficilities to such units but should exercise their judgement in regard to continuance of the 'holding-on' operations.

निजी विमान कम्पनियों द्वारा कर का भुगतान न किया जाना

1594. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी विमान कम्पनियों के संचालकों द्वारा यात्रियों से वसूल किए गए कर का भुगतान सरकार को नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप हाल ही में इन विमान कम्पनियों की कतिपय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने निजी विमान कम्पनियों के संचालकों द्वारा यात्रियों से लिए गए कर की समय पर वसूली हेतु क्या कदम उठाए है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, हां। कुछेक निजी विमान कंपनियों ने नियत समय के भीतर अंतर्देशीय वायु यात्रा कर जमा नहीं कराया।

(ख) इसके परिणामस्वरूप कोई राजस्व हानि नहीं हुई, तथापि ऐसे निजी विमान संचालकों से वसूली को जाने तक अंतर्देशीय वायु यात्रा कर की बकाया देय राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

अन्तरर्देशीय वायु यात्रा कर की देय राशि	778.21 लाख रुपए
	458.47 लाख रुपए
अर्थदण्ड	479.14 लाख रुपए

(ग) और (घ): यदि करों को समय पर जमा नहीं किया जाता है तो भुगतान न करने वाले ऐसे संचालकों के विमानों का असिधन कर दिया जाता है। अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर की देय राशि की वसूली के लिए पीछे भी 6 विमानों का विभिन्न अवधियों के लिए असिधन कर दिया गया था। संचालकों द्वारा बकाया देय राशियों की अदायगी के पश्चात् उनमें से पांच विमानों को छोड़ दिया

गया था। अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर की अदायगी के संबंध में एक विमान अभी भी आसेधित है।

Schemes Launched in Observance of the World-No-Tobacco Day

1595. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what schemes or programmes, if any, were launched by Government in observance of the world-no-tobacco day this year (May end);

(b) the number of persons who died of tobacco related diseases during the decade 1981—90 and the first half of the nineties in India;

(c) how many of the victims were non-smokers; and

(d) what steps have been/are being taken to curb/prevent such diseases aspecially to non-smokers or passive smokers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) No specific schemes or programmes were launched by Govt. in observance of the World-no-tobacco day this year (May end).

(b) and (c) No reliable data is available, year-wise. However, it is estimated that about 8 lakh people die per year due to tobacco related diseases in the country.

(d) Govt. has initiated several measures like education about the ill effects of tobacco, prohibition of smoking in public places, besides a statutory warning on cigarette pack that smoking is injurious to health.

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) देशों के मुख्य न्यायाधीशों की कांफ्रेंस

†1596. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के अंतर्गत, दक्षेस देशों के मुख्य न्यायाधीशों की एक पृथक कांफ्रेंस स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कांफ्रेंस इस क्षेत्र के देशों में उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक और अन्य विचारों के संबंध में संकल्प तैयार करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों के विधिक समुदायों के व्यक्तियों के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विधि के रूप में ज्ञात एक स्वैच्छिक संगम 1991 में स्थापित किया गया है। इसके उद्देश्यों के अंतर्गत घनिष्ठ सहयोग के लिए क्षेत्र के भीतर विधिक समुदायों को एकजुट करना और विकास के लिए सामाजिक परिवर्तन हेतु स्रोत के रूप में उनका विकास करना भी है। इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द्वारा जुलाई, 1994 में विधिक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मान्यता दी गई थी। अन्य उद्देश्यों के साथ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विधि इस समय दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन मध्यस्थम केन्द्र की स्थापना करने में लगी हुई है। 31 मार्च से 2 अप्रैल, 1995 तक काठमांडू में हुए चौथे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विधि सम्मेलन के दौरान नेपाल के मुख्य न्यायमूर्ति की पहल पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के संगठन देशों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन हुआ था। काठमांडू सम्मेलन में किए गए विनिश्चय के अनुसार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विधि के भविष्य में होने वाले सम्मेलनों के दौरान सदस्य देशों के मुख्य न्यायमूर्तियों की समानान्तर बैठकें एक नियमित विशिष्टता बनेगी।